(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **16 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

महेश पाटनी पुत्र मूलचन्द पाटनी निवासी गांव बोरडा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04-08 .2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 45 एफ 909436 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 10.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी से पत्रांक / सू.अ. / 2020 / 534 दिनांक 04.08.2020 से पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र अनुसार तहसीलदार कोटडी ने अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संदर्भ में भू0 अभिलेख शाखा कोटडी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैं कि तहसीलदार कोटडी ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी हैं।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में निःशुल्क दी जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी को भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है।

आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 04-08 .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा